प्रेषक,

संख्याः 1022/ई–1/तेरह–2021–18/17(टी.सी.)

संजय आर. मूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

आबकारी अनुभाग–1

लखनऊः दिनांकः 28 मई, 2021

विषयः–प्रदेश में अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री तथा अवैध अल्कोहल के परिवहन पर अंकुश लगाये जाने हेतु विशेष प्रवर्तन अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्याः 526/ई–1/तेरह–2021–18/17 (टी.सी.), दिनांक 05–03–2021, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री तथा अवैध अल्कोहल के परिवहन पर अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये गये थे। शासन द्वारा पुनः प्रदेश में अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री तथा अवैध अल्कोहल के परिवहन पर अंकुश लगाये जाने हेतु विशेष प्रवर्तन अभियान चलाये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. अवैध मदिरा के कारोबारियों द्वारा मदिरा की तस्करी तथा अवैध रूप से मदिरा तैयार कर उसकी बिक्री किये जाने से जहाँ एक ओर राजस्व प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है, वहीं जनहानि की भी सम्भावना बनी रहती है। विगत दिनों प्रदेश में हुई कतिपय घटनाओं में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अवैध मदिरा के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों द्वारा देशी शराब की शीशियों में से भरकर अवैध मदिरा की बिक्री अवैध रूप से की जा रही है, इसलिये यह आवश्यक है कि ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखते हुए गोपनीय ढंग से इन व्यक्तियों को चिन्हित कर तथा साथ–साथ अवैध मद्य निष्कर्षण एवं मदिरा निर्माण एवं बिक्री के संदिग्ध अड्डों पर छापेमारी की कार्यवाही की जाय तथा अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री की गतिविधियों में पकड़े गये अपराधियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के साथ–साथ आई.पी.सी. की सुसंगत धाराओं में कड़ी कार्यवाही की जाय।

3. उपरोक्त के दृष्टिगत पुनः प्रदेश स्तर पर 15 दिवस का विशेष प्रवर्तन अभियान चलाकर अवैध मदिरा के परिवहन, निर्माण एवं बिक्री पर अंकुश लगाने हेतु सुनिश्चित अभियान के संचालन के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही की जायः–

(i) जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के माध्यम से आबकारी, पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीमों का गठन किया जाय।

(ii) आबकारी दुकानों एवं थोक अनुज्ञापनों का निरीक्षण करके यह सुनिश्चित किया जाये कि वहां से अवैध मदिरा की बिक्री तो नहीं की जा रही है। दुकान पर स्थित

स्टाक के बार कोड व क्यू.आर. कोड की सूक्ष्मता एवं सर्तकतापूर्वक जांच की जाये।

(iii) राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों पर स्थित संदिग्ध ढाबों, जहां अल्कोहल के टैंकर प्रायः रूकते हैं और चालकों द्वारा अल्कोहल चोरी छिपे बेचे जाने की सम्भावना रहती है, की सघन एवं आकस्मिक जांच करायी जाय। अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आहूत विभागीय बैठक दिनांक 03–12–2020 में दिये गये निर्देश के क्रम में उपरोक्त स्थानों पर नियमित छापेमारी की कार्यवाही किये जाने हेतु आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 6952–7067/ग्यारह/ई.आई.वी./वि.प्र.अ./2020–21/दिनांक 09–12–2020 द्वारा निर्गत निर्देश का अनुपालन प्रत्येक दशा में किया जाय।

(iv) अनुज्ञापित परिसर के आस–पास सतर्क दृष्टि रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी दशा में दुकान से बाहर मदिरा की बिक्री अवैध रूप से कदापि न होने पाय।

(v) अवैध मदिरा के कार्य में संलिप्त माफियाओं एवं संदिग्ध स्थानों की अद्यतन सूची के अनुसार दबिश कार्यवाही कराते हुए पकड़े गये अभियोगों में आबकारी अधिनियम की विद्यमान धाराओं के साथ–साथ आवश्यकतानुसार आई.पी.सी. की सुसंगत धाराओं में एफ.आई.आर. दर्ज करायी जाये।

(vi) जनपदों के असेवित क्षेत्रों तथा ऐसे स्थानों जहाँ पर मदिरा की दुकानें अव्यवस्थित हैं, वहाँ पर अवैध कारोबार की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए सतर्क निगरानी रखी जाय।

(vii) मिथाइल अल्कोहल के नियंत्रण के लिये आयुक्तालय द्वारा पूर्व में निर्गत आदेशों का कड़ाई से शत–प्रतिशत् अनुपालन सुनिश्चित करें जिससे किसी प्रकार की अप्रिय एवं दुखद घटनाओं से बचा जा सके।

(viii) अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री के कई प्रकरण बन्द पडी फैक्ट्रियों में पकड़े गये हैं। अतएव क्षेत्र में स्थित ऐसी बन्द पड़ी फैक्ट्रियों को चिन्हित कर उन पर सतत् सतर्क दृष्टि रखी जाये।

(ix) जिन क्षेत्रों में आसवनियाँ स्थित हैं, उन स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाये ताकि उनसे अल्कोहल चोरी की सम्भावना न हो।

(x) अवैध अड्डों से बिकने वाली शराब के जहरीली होने के सन्दर्भ में व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाय। समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर हैण्डबिल/पोस्टरों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से भी अवैध अड्डों से शराब न पीने तथा मिथाइल अल्कोहल के घातक विष होने, इसके उपयोग से व्यक्ति अन्धा होने तथा उसकी मृत्यु भी होने सम्बन्धी चेतावनी जन सामान्य तक पहुंचाई जाय।

4. जनपद स्तर पर गठित टीमों द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जायेगी, इसके अतिरिक्त जोन स्तर पर संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स तथा प्रभार स्तर पर उप आबकारी आयुक्त, प्रभार इस प्रवर्तन अभियान का नेतृत्व/निर्देशन करेगें तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि अवैध स्रोतों को शत–प्रतिशत् समूल नष्ट किया जाय। प्रवर्तन इकाइयों द्वारा संयुक्त रूप से प्रभार के समस्त संदिग्ध ग्रामों/अड्डों पर प्रभावी प्रवर्तन

कार्यवाही की जायेगी। उप आबकारी आयुक्त प्रभार द्वारा जनपदों में गठित टीमों को भी सहयोग प्रदान किया जायेगा।

5. प्रवर्तन अभियान के दौरान किसी भी कार्मिक द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ा जायेगा। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

6. अभियान के प्रत्येक दिवस की सूचना अगले दिवस को चलित योग सहित तथा अभियान की समाप्ति पर संकलित सूचना पूर्व में निर्धारित प्रारूप पर उप आबकारी आयुक्त, प्रभार द्वारा ई.आई.बी. अनुभाग की ई–मेल eibupexcise01@gmail.com पर उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त पकड़े गये अति महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट प्रकार के अभियोगों को तत्काल दूरभाष अथवा मेल के माध्यम से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जायेगा।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(संजय आर. मूसरेड्डी)
अपर मुख्य सचिव

संख्याः 1022 (1)ई–1/तेरह–2021, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ.प्र. शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. अपर पुलिस महानिदेशक(कानून व्यवस्था), उत्तर प्रदेश।
5. पुलिस आयुक्त, लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुर नगर एवं वाराणसी।
6. समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन–1 व 2, उत्तर प्रदेश।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव